

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज बनाम रामकुल मु.नं- 62/25 आर.प्र.पं. किरम - T.D.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p> <u>13.02.26</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया/अपलोका से स्पष्ट है कि पत्रावली की अदेशिका दिनांक 16.9.25 को फोर्से एं. 03,04,05 में लखन से अर्थात् एं. 04 लगा 08 की ओर ले अतिशय श्री लक्ष्मीराम मीना ने. उ.प. की अर्जित हो गया जिसे शुद्ध किया जाकर अर्थात् एं. 04 लगा 08 की ओर ले अतिशय श्री सांवल राम मीना ने. उ.प. की पदा जर्वा अर्थात् एं. 04 लगा 08 से विद्युत रूप से तामील हो चुकी है। तामील धरात्त पर्यन्त समय के उपरांत भी स्नेक द्वारा जणव प्रा.पं. T.D. पेश नहीं किया। अतः स्नेक विरुद्ध स्वपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वाले परस श्री. पं. T.D. दिनांक 27.3.26 पुनश्च:- प्रा.पं. T.D. पर वकील प्रार्थी की वरस सुनी गई। पत्रावली वाले 27.3.26 को 4 अदेश दिनांक 27.3.26 को पेश हो। </p> <p align="center"> उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) </p> <p> <u>27.3.26</u> अतिशयको द्वारा न्यायिक कार्य का स्मगान रखा गया जिसे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पुनर्दिनांक दिनांक 01.05.26 को पेश हो। </p> <p> <u>01.05.26</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगा का प्रा.पं. अर्जित धारा </p>	<p> श्रीमान् न.र.रा. शास्त्री जज </p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर
अहकाम
की ता
हुए

.....बनाम.....
रामकूल बनाम **ब्राह्मशास्त्री**
 मु.नं.- 62/25 किस्म - 7-घ.

यह राजस्थान काव्यकारी अधिनियम अस्वीकार
 (Reject) किया जाकर खारिज (Reject) किया
 जाता है। पत्नी को नल सुभार होकर मूल
 वाफ से साथ रहनी है।

उपखण्ड अधिकारी
 मण्डावर (दौसा)